प्रेस नोट **16.01.2023**

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरान्त पोक्सो एक्ट का अभियुक्त 12 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदण्ड से हुवा दंडित–

पुलिस कार्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त आज दिनांक 16.01.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पोक्सो प्रथम जनपद मऊ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 656/15 धार 377 भादवि0 व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त अमरनाथ यादव पुत्र नन्हकू यादव निवासी नगरीपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

अवैध चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

दिनांक 15.01.2023 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान असना नहर पुलिया के पास से दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार राजभर निवासी पट्टी मुहम्मदपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.01.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अबुल कादिर, अब्दुल कादिर निवासी बुनकर कॉलोनी थाना सरायलखंसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजू, रामनरायण, श्रवण कुमार निवासीगण धर्मपुर बिसूनपुर, नौरंग निवासी सारंगपुर, सुरेश बासफोर निवासी सीकडीकोल थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा नन्दन चौहान, रमेश चौहान, राजकुमार चौहान निवासीगण कुतुबपुर, अशोक चौहान निवासी सुरहुरपुर, मनीष बनवासी निवासी रैकर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सोनू गुप्ता, धनंजय गुप्ता, धर्मेन्द्र गुप्ता, भरत गुप्ता निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दरश यादव पुत्र गोकुल यादव निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, परवाह करेंगे रहेंगे सुरक्षित

आज दिनांक 16.01.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में यातायात पुलिस मऊ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गयी। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन से प्रारम्भ होकर गाजीपुर तिराहा, आजमगढ तिराहा, बालनिकेतन, भीटी तथा ब्रह्मस्थान होकर पुनः गाजीपुर तिराहे पर समाप्त हुयी। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली के माध्यम से वाहन चालको को दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, शराब का सेवन न करने, काली फिल्म न लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइलफोन/इयरफोन का उपयोग न करने की सलाह दी गयी तथा अभिवावको को अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु नही देने की सलाह दी गयी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री धनन्जय मिश्र, प्रभारी यातायात उ0नि0 राजकेशर सिंह व अन्य पुलिसकर्मी तथा परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहें।